

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—146/2022 (2022/409) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लादुलाल पिता भैरूलाल भील निवासी मंडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. राजुलाल नायक —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 08.02.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम ढिकाणी पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी संख्या 183 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 184 रकबा 1.06 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 13 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थी ने विपक्षी को कहा लेकिन विपक्षी इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 02.12.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 उपस्थित है पत्थरगढी कराने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

By

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम ढिकाणी पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी संख्या 183 रकबा 0.02 है० गै. मु.आचा, आराजी संख्या 184 रकबा 1.06 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 13 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
महानगरिक कोलेज रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—146/2022 (2022/409) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लादुलाल पिता भैरूलाल भील निवासी मंडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 08.02.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम ढिकाणी पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की कृषि आराजी संख्या 183 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 184 रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 13 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
महान्यायालय रायपुर, जिला भीलवाड़ा
जिसपुर (भीलवाड़ा)